रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 602] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 10, 1984/अग्रहायण 19, 1906
No. 602] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 10 1984/AGRAHAYANA 19, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1984

का. आ. 927 (अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत संगठन (समूह क और समूह ख पद) भर्ती नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत संगठन (समूह क और समूह ख पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय बचत संगठन (समूह क और समूह ख पद) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में स्तंभ 6 में :—

(क) क्रम संख्यांक 2, 3, 4, 5, और 7 के पदों के सामने "सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर और

(ख) क्रम संख्यांक 6 और 8 के पदों के सामने "(सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक छूट)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर,

"(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ।

[सं. एफ. 13/30/82-एन. एस]

ए. रंगाचारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम का. आ. 1160 तारीख 11 अप्रैल, 1963 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का. आ. सं. 444 तारीख 24 जनवरी, 1974 का. आ. 411 (अ) तारीख 4 जून, 1981 और का. आ. 641 (अ) तारीख 11 अगस्त, 1981 और का. आ. सं. 597 (अ) दिनांक 30-11-84 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 1984

S.O. 927(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Savings Organisation (Group A and Group B Posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Savings Organisation (Group A and Group B Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In column 6 of the Schedule to the National Savings Organisation (Group A and Group B Posts) Recruitment Rules, 1963,—

(a) against the posts at serial numbers 2, 3, 4, 5 and 7, for the brackets and words "(Relaxable for Governmnt Servants)", and

(b) against the posts at serial numbers 6 and 8, for the brackets words and figures "(Relaxable upto 5 years for Government Servants)",

the brackets and words "(Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)" shall be substituted.

[No. F. 13|30|82-NS]

A. RANGACHARI, Jt. Secy.

NOTE.—Principal Rules notified vide S.O. No. 1160 dated 11-4-63 and subsequently amended vide S.O. No. 444 dated 24-1-74, S.O. No. 411(E), dated 4-6-81, S.O. No. 641(E), dated 11-8-81 and S.O. No. 597(E), dated 30-11-1984.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED NO. D. (DL)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 604] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 1984/अग्रहायण 20, 1906
No. 604] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 11, 1984/AGRAHAYANA 20, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1984

शुद्धि-पत्र

का. आ. 929(अ) :—भारत के दिनांक 1-8-84 के राजपत्र के असाधारण अंक सं. 363 के भाग 2, खंड 3 उप खण्ड (1) में प्रकाशित अधिसूचना की अन्तर्वस्तु में निम्नलिखित परिवर्तन/परिवर्तन होगा ।

1. सा. आ. सं. 550(ई) के अन्तर्गत प्रकाशित दिनांक 1-8-84 की अधिसूचना सं. 84/एमटीपी/सी/एलए/1 में भूमि अनुसूची संख्या 14/2 होगी ।